

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 7 नवंबर, 2014 को पूर्वाह्न 10:00 बजे, राज निवास, दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

### अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग,  
उपराज्यपाल, दिल्ली

### उपाध्यक्ष

2. श्री बलविंदर कुमार

### सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन  
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा
4. श्री अभय सिन्हा,  
अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.,
5. श्री डी एस मिश्रा  
अपर सचिव,  
शहरी विकास मंत्रालय,  
भारत सरकार
6. श्रीमती नयनी जयासीलन  
सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड

## सचिव

श्री बृजेश कुमार मिश्रा

आयुक्त एवं सचिव

## विशिष्ट आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारी

1. श्री नूतन गुहा बिस्वास  
उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव
2. श्री राजेन्द्र कुमार,  
सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
3. श्री टी. श्रीनिधि  
प्रधान आयुक्त (आवास, भूमि निपटान और सीडब्ल्यूजी), दि.वि.प्रा.
4. श्री दयानंद कटारिया,  
प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक और प्रणाली) ,दि.वि.प्रा.
5. श्री सुनील कुमार गुलाटी  
मुख्य सतर्कता अधिकारी, दि.वि.प्रा.
6. श्रीमती स्वाति शर्मा  
उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव
7. डॉ. सिमी मल्होत्रा  
उपराज्यपाल, दिल्ली की परामर्शदाता (मीडिया, अकादमिक,कला, संस्कृति एवं भाषा)
8. श्री आर.एन.शर्मा  
उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव
9. श्री अजय चौधरी  
उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी

10. श्री विश्वेंद्र  
उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव
11. श्री जे.बी. क्षीरसागर  
चीफ प्लानर, टीसीपीओ
12. श्री एस. एन. गुप्ता  
आयुक्त (प्रभारी) (एलएम/आईएल), दि.वि.प्रा.
13. श्री आर.के.जैन  
आयुक्त (प्रभारी) (योजना), दि.वि.प्रा.
14. श्री शमशेर सिंह  
चीफ टाउन प्लानर, एसडीएमसी और एनडीएमसी
15. श्री सुनील मेहरा  
चीफ टाउन प्लानर, ईडीएमसी
16. श्री अनिल कुमार शर्मा  
मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.
17. श्री अमरदीप सिंह  
वित्त लेखा (आवास) और मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.
18. डॉ. के. श्रीरंगन  
निदेशक, यूटीपैक, दि.वि.प्रा.
19. श्रीमती पारोमिता राँय  
उपनिदेशक, यूटीपैक, दि.वि.प्रा.
20. श्रीमती मीना विधानी  
सहायक निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

21. श्री विजय रिसबद  
सलाहकार (एनपीआईआईसी), दि.वि.प्रा.

22. श्रीमती नीमो धर  
सलाहकार (जनसंपर्क), दि.वि.प्रा.

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

#### मद संख्या 153/2014

दिनांक 9.10.2014 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ. 2(2)2014/एमसी/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 9.10.2014 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त की यथापरिचालित पुष्टि की गई।

#### मद संख्या 154/2014

दिनांक 19.09.2014 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2014/एमसी/डीडीए

एजेंडा मद संख्या 130/2014 के संबंध में यह पाया गया कि बड़े प्लॉटों पर आवासीय इकाइयों की संख्या बढ़ाने के प्राधिकरण के निर्णय से डीडीए ने माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की है।

डीडीए ने स्पष्ट किया कि आयुक्त (योजना) माननीय न्यायालय से अतिरिक्त आवासीय इकाइयों को अनुमति देने का अनुरोध करेंगे और प्राधिकरण की अगली बैठक में इसका परिणाम प्रस्तुत किया जाएगा। अतः डीडीए ने अभी आवासीय

इकाइयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है। डीडीए ने केवल शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित बताया है अर्थात् बड़े प्लॉटों पर ग्राउंड कवरेज और एफएआर की वृद्धि।

यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पहले लिए गए निर्णय के आधार पर, डीडीए माननीय न्यायालय को आवासीय प्लॉटों में आवासीय इकाइयों को अनुमति देने के अगस्त 2008 के पूर्व के निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करेगा।

दिनांक 19.09.2014 को आयोजित डीडीए की बैठक के कार्यवृत्त के शेष एजेंडा मदों के एटीआर को नोट किया गया।

#### मद संख्या 155/2014

फ्लैटों का मानक लागत -निर्माण की प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) 1 अक्टूबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक प्रभावी है  
एफ 21(1671)2001/एचएसी/पार्ट II

यह पाया गया कि पैरा 3 के अंतर्गत तालिका के क्रम सं. 12 में उल्लिखित सिरसरपुर गांव के एलआईजी फ्लैटों की लागत तालिका में उल्लिखित अन्य स्थानों के एलआईजी फ्लैटों से अधिक लागता दर्शायी गयी है। इससे जनता को आपत्ति हो सकती है और वास्तव में मुकदमेबाजी हो सकती है।

वित्त सलाहकार (आवास), डीडीए ने जानकारी दी कि सिरसरपुर गांव के 2920 एलआईजी फ्लैटों की लागत, निर्माण की वास्तविक दर के आधार पर तय की गई है जिसमें चारदीवारी का निर्माण भी शामिल है। यह डीडीए आवासीय योजना-2014 का हिस्सा भी था। डीडीए को वित्तीय नुकसान नहीं हो यह ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।

यह भी बताया गया कि इन फ्लैटों की कीमत का उल्लेख विवरणिका में भी किया गया है। आम जनता ने डीडीए आवासीय योजना-2014 की विवरणिका में निर्दिष्ट उच्च कीमत को ध्यान में रखते हुए ही इन फ्लैटों के लिए आवेदन किया होगा।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

### मद संख्या 156/2014

बातचीत से डीडीए द्वारा निजी भूमि की प्रत्यक्ष खरीद हेतु नीति  
एफ 9(6)/2014/एन एल-1/डीडीए

यह बताया गया कि नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जटिल और काफी समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए डीडीए निजी भूमि की खरीद के संबंध में डीएमआरसी की पद्धति पर निजी भूमि की प्रत्यक्ष खरीद हेतु नीति अपनाने का प्रस्ताव करती है।

इस विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. डीडीए आंतरिक समितियां केवल 10 एकड़ तक की भूमि के प्रत्यक्ष खरीद को अंतिम रूप देगी। 10 एकड़ से अधिक भूमि की प्रत्यक्ष खरीद के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
2. स्थायी समिति की अध्यक्षता उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. करेंगे और वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य और प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) इसके सदस्य होंगे।
3. निजी खरीद के लिए भूमि की कीमत नवीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत वहन की जाने वाली कीमत से अधिक नहीं होगी।
4. केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के मामलों में डीडीए प्रत्यक्ष खरीद करेगा।
5. कार्यान्वयन से पूर्व मामले की विधिक जांच की जाएगी।

माननीय उपराज्यपाल ने इस एजेंडा मद की संवेदनशीलता पर अपनी चिंता जाहिर की और निदेश दिया कि बातचीत द्वारा निजी भूमि की खरीद करते समय पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डीडीए द्वारा यथोचित ध्यान और सावधानी बरती जाए।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को उपर्युक्त निर्देशों के साथ अनुमोदित किया गया।

### मद संख्या 157/2014

दिनांक 11.06.2014 को आयोजित 13 वीं सलाहकार समूह की बैठक की संस्तुतियों और दिनांक 16.09.2014 को माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के आधार पर संशोधित "परिवहन (अध्याय 12.0)" और

“दिल्ली शहरी क्षेत्र- 2021 (अध्याय 3.0)” तथा “विकास कोड (अध्याय 17.0)” में संबंधित संशोधन।

एफ 1(55)2012/यूटीपैक /वॉल्यूम-III (पार्ट)

निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. विकास कोड (अध्याय 17.0) के खंड 8 (4) की “तालिका 17.2” के पार्किंग मानकों के अंतर्गत “टीओडी जोन” के अंतर्गत सभी उपयोग जोनों के लिए फ्लोर एरिया के प्रति 100 वर्ग मीटर के लिए अनुमेय ईसीएस 2.0 होगा । किसी अन्य संगत भाग को तदनुसार संशोधित किया जाएगा ।
2. पैरा 12.4.1 में अंतिम वाक्य को हटाना अर्थात् “शहरी विस्तार क्षेत्रों में, टीओडी सिद्धांतों को प्रस्तावित एमआरटीएस/ प्रमुख सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर के साथ केवल योजना स्तर पर सुमेलित किया जाएगा ।”
3. ड्राफ्ट टीओडी मानक /नीति के पैरा 12.13.2 से ‘नवीन’ शब्द को हटाना ।
4. सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी ने कहा कि परिवहन से संबंधित एनसीआर योजना के सभी प्रावधानों को उपयुक्त रूप से अध्याय में शामिल किया जाना चाहिए । उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सभी प्रमुख परिवहन कॉरिडोर, खासकर, तीन वरीयता प्राप्त कॉरिडोरों का तदनुरूप उल्लेख किया जाना चाहिए । इस मामले में नवीनतम जानकारी प्रारूप अध्याय में शामिल करने हेतु सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी द्वारा डीडीए को प्रस्तुत की जाएगी ।
5. इस बात पर सहमति हुई कि टीओडी विकास मानक के संगत पहलू/विशेषताएं खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामलों, नेटवर्क कनेक्टिविटी आदि को विकास कोड में शहरी विस्तार क्षेत्रों के लिए शामिल किया जाना चाहिए बशर्ते वह लैंड पूलिंग क्षेत्र में किसी क्षेत्रीय विकास संशोधन में हस्तक्षेप नहीं करते हों ।
6. टाइप की त्रुटियां, यदि कोई हो, को सार्वजनिक सूचना के लिए जारी करने से पूर्व प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिया कि इस नीति की घोषणा से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात, जल, सीवरेज और विद्युत के पर्याप्त प्रावधान हो। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि मामले को दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष लाया जाए कि क्या वह नीति के अंतर्गत पर्याप्त जल और सीवरेज निपटान प्रणाली प्रदान करेंगे ।

एजेंडा मद को प्रस्तावित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया, जिसे प्रस्तावित नीति पर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत किया जाएगा ।

**मद संख्या 158/2014**

योजना जोन-डी में आने वाले कर्जन रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली स्थित डेडिकेटेड कार्यालय भवन के लिए प्रस्तावित 1.40 हेक्टेयर (3.462 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'सरकारी कार्यालय' में परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तन

एफ 3(68)2008/एमपी

चूंकि यह भवन/स्थल लुटियंस बंगलो जोन में स्थित है, वर्ष 1988 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदन अपेक्षित है । यह निर्णय लिया गया कि डीडीए को पहले शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लिखना चाहिए ताकि विद्यमान भवन के साइट प्लान और अन्य विवरण जैसे एफएआर, ग्राउंड कवरेज, मानदंड, फोटोग्राफ और प्रस्तावित योजना आदि की प्रति जांच के लिए प्रस्तुत की जा सके । उसके बाद प्राधिकरण द्वारा प्रोसेस किए गए मामले को अंतिम अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा ।

अतः एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया ।

**मद संख्या 159/2014**

खंड 13.5 सुरक्षा-पुलिस की 'पुलिस लाइन' तालिका सं. :13.11 के विकास नियंत्रण मानकों में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में प्रस्तावित संशोधन ।

एफ 20(24)2014-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।



**मद संख्या 160/2014**

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक लेखों को अपनाने के लिए एजेंडा  
एफ. 6(30) /ए/सी (मेन) /डीडीए/एनुअल/ए/सीएस/2013-14  
एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

**मद संख्या 161/2014**

वर्ष 2013-14 के लिए डीडीए की वार्षिक रिपोर्ट ।  
एफ1(05) /2014/पीएंडसी/एएआर/डीडीए  
एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

**मद संख्या 162/2014**

योजना केंडर के भर्ती विनियमों में संशोधन ।  
एफ. 7(56)2010/पीबी-1/पार्ट-1

प्रस्ताव के संबंध में डीडीए के कुछ अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिया कि योजना केंडर के आरआर में संशोधन से संबंधित फाइल को आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद प्राधिकरण की अगली बैठक में इस मामले को रखा जाए ।

अतः एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया ।

**मद संख्या 163/2014**

विद्यमान गेस्ट हाउसों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में पहले से अनुमोदित प्रस्तावों में संशोधन ।  
एफ 20(17) /2013-एमपी/पार्ट-1

विस्तृत चर्चा के उपरांत पैरा 15.7.3 (v) अध्याय 15 अर्थात मिश्रित उपयोग विनियमों में निम्नलिखित संशोधनों के साथ एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया:-

“विशेष क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार की गलियों से सटे प्लॉटों और मुख्य योजना सड़कों तथा क्षेत्रीय योजना सड़कों से सटे प्लॉटों में संचालित गेस्ट हाउसों के निर्मित क्षेत्र के 100% तक की अनुमति होगी और यह सीमा प्लॉट के आकार के लिए लागू नहीं होगी। बशर्ते, बंगलो जोन के अलावा, जो गेस्ट हाउस 31/12/2010 से पूर्व दि.मु.यो. के प्रावधानों के अंतर्गत वैध रूप से संचालित थे, वे समय तक काम करते रहेंगे। जो गेस्ट हाउस 07/02/2007 से पूर्व पहले जैसा कि उस समय अनुमत था, उनके लिए मार्गाधिकार की अपेक्षाएं दिनांक 19.05.1999 की अधिसूचना में राष्ट्रीय भवन संहिता, भवन उपविधि, 1983, दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007, दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 और संगत अधिनियमों/नियमों के अनुसार यथा लागू अन्य सांविधिक निकायों द्वारा यथा प्रदत्त होंगी।”

#### मद संख्या 164/2014

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत लैंड पॉलिसी के संचालन के लिए प्रारूप विनियमों को अधिसूचित किया जाना।

एफ 15(6) /2012/एमपी

यह पूछा गया कि आर्थिक रूप से लाभकारी उपयोगों जैसे व्यावसायिक, आवासीय आदि और आर्थिक रूप से गैर लाभकारी उपयोगों जैसे हरित क्षेत्र, सुविधाओं आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि की कीमत के अंतर के पहलू पर लैंड पूलिंग नीति में क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार किस प्रकार विचार किया गया है। यह बताया गया कि लैंड पूलिंग नीति के निदेशक सिद्धांतों में न्यूनतम विस्थापन के साथ क्षेत्रीय विकास योजना में विकासकर्ताओं की भूमि के लिए निर्धारित भूमि उपयोग से निरपेक्ष होकर उनके लिए एकसाम्यिक रिटर्न का प्रावधान है।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

#### मद संख्या 165/2014

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अध्याय 19.0 में संशोधन

एफ 3(53) 2003/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

**मद संख्या 166/2014**

पांच चूल्हा करदाता गांवों अर्थात् अरकपुरबागमोची, टोडा पुर, दसघरा, झिलमिल ताहिरपुर और नंगलीराज़ापुर को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना /नियमित करना ।

**एफ टीएन.2(10) 2014**

उपाध्यक्ष, डीडीए ने एजेंडा मद को विस्तार से समझाया और जानकारी दी कि इन पांच गांवों में पांच तरह के अधिभोगी हैं यथा (क)मूल चूल्हा करदाता और उनके वंशज (ख) चूल्हा कर दाताओं से खरीद करने वाले और उनके वंशज (ग) मूल/खरीदार जिनके पास अनुमत 167वर्ग मी./267 वर्गगज से अधिक क्षेत्र है (घ) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले (ङ) वाल्मिकी श्रेणी अथवा उनके वंशज, जिन्हें प्रस्तावित भुगतान करने की शर्त पर नियमित किया जाना और स्वामित्व अधिकार दिया जाना है।

विस्तृत चर्चा के उपरांत प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय लिए:-

- (i) मूल चूल्हा कर दाताओं और उनके वंशजों और चूल्हा कर दाताओं से खरीद करने वाले तथा उनके वंशजों के लिए- वर्ष 2008 में अनधिकृत कॉलोनियों हेतु यथानिर्णीत 575/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर को दिनांक 30.11.2014 तक डीडीए के निर्धारित ब्याज दर के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए ।
- (ii) मूल अधिभोगी/उनके वंशज/खरीददार, जिनके पास अनुमेय सीमा से अधिक भूमि है, उनके लिए- गणना पीडीआर आधार अर्थात् 3500/-रुपए प्रति वर्ग मीटर (वर्ष 2007 में अविकसित भूमि के अधिग्रहण की कीमत अर्थात् 1702/- रुपए प्रति वर्ग मीटर तथा नवंबर, 2014 तक डीडीए की निर्धारित दर पर ब्याज) के अनुसार वसूली जाएगी ।
- (iii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के लिए बाजार दरें वसूली जाएंगी ।
- (iv) वाल्मिकी श्रेणी अथवा उनके वंशजों के लिए- उपर्युक्त (i) के अनुसार बाजार दर को वसूला जाएगा ।

दरों में उपर्युक्त संशोधन के साथ एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या 167/2014

योजना जोन-डी में आने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुख्यालय भवन के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रोड की तरफ खुलने वाली 4191 वर्ग मीटर (1.0356 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'सरकारी (सरकारी कार्यालय)' में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन ।

एफ 20(26) 2014/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या 168/2014

मोटलों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन ।

एफ 20(04) 83/एमपी-वॉल्यूम II

एजेंडा मद के 5ए में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। किंतु एजेंडा मद के 5बी में शामिल प्रस्ताव, संशोधन अर्थात् "वास्तविक/संस्वीकृत प्लॉट से सटे मोटल स्वामियों के स्वामित्व के अंतर्गत खाली पड़ी भूमि को जीएनसीटीडी और स्थानीय निकायों द्वारा नियामक उपायों के अध्यक्षीन, ऐसे प्लॉट पर बिना किसी निर्माण तथा कोई एफएआर का दावा किए बिना एवं वास्तविक प्लॉट से मिलाए बिना पूरी तरह से अस्थायी आधार पर पार्किंग/हरित क्षेत्र के रखरखाव के लिए उपयोग किया जा सकता है," को अनुमोदित किया गया ।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।